न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 27 / 2012

1 रामस्वरूप पुत्र नारानाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 पारा पत्नी बिड़दाराम
2 किशोर कुमार पुत्र बिड़दाराम नवीरा गोपालराम
3 महेन्द्र सिंह पुत्र बिड़दाराम
4 सुवटी पत्नी मूलचन्द
5 सांवरमल पुत्र मूलचन्द
6 सुमेर पुत्र मूलचन्द
जातिगण कुम्हार निवासीगण ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 बनवारी पुत्र बिड़दाराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
8 मदनसिंह पुत्र रड़मल सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
8/1 श्रीमती भंवर कंवर पत्नी स्व. मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
8/2 हिमत सिंह पुत्र स्व. मदन सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
9 किशोर सिंह पुत्र रड़मल सिंह
10 कल्याण सिंह पुत्र रड़मल सिंह
11 सालमसिंह पुत्र रड़मल सिंह
12 मंगेज कंवर पत्नी जतन सिंह मृतक
जातिगण राजपूत निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
13 गोकल पुत्र हरदेवा जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13/1 सहीराम पुत्र स्व. गोकल जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
13/2 महावीर पुत्र स्व. गोकल जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
13/3 बाजिन पुत्र स्व. गोकल जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
13/4 नरेश पुत्र स्व. गोकल जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
13/5 कमली देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल स्व. गोकल जाति कुम्हार निवासी गुढ़ा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
14 रामजीलाल पुत्र देबूराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
14/1 सुमित्रा देवी पत्नी रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
14/2 श्यामलाल पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
14/3 चौथमल पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
14/4 सुनिता पुत्री रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
15 बसन्ती उर्फ रूकमा पत्नी चिरंजीलाल
16 बजरंग पुत्र चिरंजीलाल
17 सुरेश पुत्र चिरंजीलाल
जातिगण कुम्हार निवासीगण ढाणी कुम्हारान तन बड़ाऊ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
18 लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं ।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 30.12.2011 द्वारा
विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलेक्टर खेतड़ी उनवानी प्रकरण रामस्वरूप बनाम पारा
देवी घोषणार्थ एवं खाता विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती
मु.नं. 138/2010

उपस्थिति :

1. श्री फूलचन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 4/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 138/2010 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट ने एक दावा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टगण नम्बर 1 लगायत 18 के विरूद्ध पेश किया कि वाके ग्राम बड़ाउ तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 1083 रकबा 10 बीघा 7 बिश्वा, खसरा नम्बर 1364 रकबा 2 बीघा 10 बिश्वा को खातेदार भंवरसिंह पुत्र बहादुरसिंह पुत्र बहादुर सिंह हिस्सा 1/2 मूलसिंह पुत्र गणेशसिंह हिस्सा 1/6, मंगेज कंवर पत्नी जतनसिंह हिस्सा 1/6, थे जो मौके पर बाहमी बंटवारा कर अपने अलग—अलग हिस्से पर काबिज थे। भूमि खसरा नम्बर गत 1083 रकबा 10 बीघा 9 बिश्वा गत खसरा नम्बर 1364 में से 7 बिश्वा भूमि भंवरसिंह, मदनसिंह एवं मंगेज कंवर के हिस्से में थी। तथा खसरा नम्बर 1364 का 2 बीघा 3 बिश्वा रकबा प्रवितादी/रेस्पोडेन्ट 5 लगायत 7 के कब्जा काश्त में था मौके पर अलग—अलग सीमाये बनाकर काबिज काश्त थे। खातेदार भंवरसिंह, मदनसिंह व मंगेज कंवर ने दिनांक 31.05.77 को भूमि गत खसरा नम्बर 1083 में से 2 बीघा 12 बिश्वा भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 15

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

लगायत 17 के पूर्वज चिंरजीलाल को जरिये विक्रय पत्र के बेचान कर कब्जा दे दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 15 लगायत 17 के नाम नामान्तकरण दर्ज नहीं हुआ। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस 13 व 14 का 17 बिश्वा की खातेदारी में नाम दर्ज नहीं हुआ। जिस पर वादी/अपीलान्ट द्वारा दावा घोषणार्थ एवं खाता विभाजन रिकार्ड दुरूस्ती का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ने अपने निर्णय व दिनांक 30.12.2011 को अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 1083 रकबा 10 बीघा 9 बिश्वा गत खसरा नम्बर 1364 में से 7 बिश्वा भूमि भंवरसिंह, मदन सिंह एवं मंगेज कंवर के हिस्से में थी खातेदार भंवरसिंह, मदन सिंह व मंगेज कंवर ने दिनांक 31.05.2017 को भूमि गत खसरा नम्बर 1083 में से 2 बीघा 12 बिश्वा भूमि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 15 लगायत 17 के पूर्वज चिरंजीलाल को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा दे दिया था विक्रय पत्र दिनांक से अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 15 लगायत 17 काबिज काश्त है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 15 लगायत 17 का 40–45 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा था। अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर गत 1083 रकबा 10 बीघा 9 बिश्वा में से 2 बीघा 12 बिश्वा भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 1083 के नये खसरा नम्बर 1634, 1638 बने है। विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 1639 का मिलान क्षेत्रफल में विवरण दर्ज नहीं मानकर अपीलान्ट का दावा खारिज करने में भूल कानूनी की है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 15 लगायत 17 ने न तो खसरा नम्बर 1639 पर काबिज है व न ही उक्त खसरा नम्बर को जरिये विक्रय पत्र क्रय किया है इसलिए उक्त खसरा नम्बर का मिलान क्षेत्रफल में विवरण नहीं होने का आधार बनाया जाकर दावा खारिज करने में भूल विधिक की है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस संख्या 15 लगायत 17 जिस खसरा नम्बर को जरिये विक्रय पत्र क्रय किया है व उस पर ही 40–45 वर्षों से काबिज काश्त है उसका खाता विभाजन व रिकार्ड अपने नाम दर्ज करवाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट का कथन है कि भूमि खसरा नम्बर 1083 रकबा 10 बीघा 9 बिश्वा गत खसरा नम्बर 1364 में से 7 बिश्वा भूमि भंवरसिंह, मदन सिंह एवं मंगेज कंवर के हिस्से में थी खातेदार भंवरसिंह, मदन सिंह व मंगेज कंवर ने दिनांक 31.05.2017 को भूमि गत खसरा नम्बर 1083 में से 2 बीघा 12 बिश्वा भूमि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 15 लगायत 17 के पूर्वज चिरंजीलाल को जरिये विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा दे दिया था विक्रय पत्र दिनांक से अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 15 लगायत 17 काबिज काश्त है। अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 15 लगायत 17 का 40–45 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा था। अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर गत 1083 रकबा 10 बीघा 9 बिश्वा में से 2 बीघा 12 बिश्वा भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय की थी। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार 1083 के नये खसरा नम्बर 1634, 1638 बने है। विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 1639 का मिलान क्षेत्रफल में विवरण दर्ज नहीं मानकर अपीलान्ट का दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलान्ट की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2061–64 (प्रदर्श–1), संवत 2057–60 (प्रदर्श–2), संवत् 2043–46 (प्रदर्श–3), संवत 2049–52 (प्रदर्श–4), संवत 2045–48 (प्रदर्श–5), नकल मिसल बन्दोबस्त (प्रदर्श–6), नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–7, 8), जमाबंदी संवत 2029 (प्रदर्श–9), फोटो प्रति सहमति पत्र (प्रदर्श–10 व 11), नकल विक्रय पत्र दिनांक 31.05.77 (प्रदर्श–12), विक्रय पत्र दिनांक 31.05.77 (प्रदर्श–13), विक्रय पत्र दिनांक 31.05.77 (प्रदर्श–14), नकल नामांतकरण (प्रदर्श–15 व 16) पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य के शपथ पत्र रामस्वरूप (पी.डब्ल्यू–1), मंगलराम (पी.डब्ल्यू–2), भींवाराम (पीडब्ल्यू–3) प्रस्तुत किये। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक ....4/4/25.... को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार [illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर